



भा.वा.अ.शि.प.—उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)

डाकघर – आर०एफ०आर०सी०, मण्डला रोड, जबलपुर – 482 021

ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

(An Autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

P.O. – R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR – 482 021 (M.P)



कमांक 1-13-4/19/Estt./Circular/TFRI/15.23

दिनांक 13/12/2024

परिपत्र

प्रायः देखा जा रहा है कि संस्थान के कार्मिक परिणित अवकाश (Commuted Leave) का उपभोग कर कार्य ग्रहण प्रतिवेदन के साथ CSMA Rules के अंतर्गत Authorised Medical Attendant (AMA) द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रारूप में फिट-अनफिट (Fit-Unfit) प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कार्मिक अन्य चिकित्सकों के फीट-अनफीट प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्होंने चिकित्सा परामर्श लिया है, जो नियमानुसार नहीं है।

संस्थान के कार्मिकों से अनुरोध है कि वे परिणित अवकाश (Commuted Leave) के लिये CSMA नियमावली अनुसार Authorised Medical Attendant (AMA) से निर्धारित प्रारूप में फीट-अनफीट (Fit-Unfit) प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

जबलपुर जिले में निवास करने वाले कार्मिक यदि परिणित अवकाश (Commuted Leave) हेतु अन्य चिकित्सकों के फीट-अनफीट प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन्हें उस प्रमाण पत्र को भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.स. हॉस्पिटल के Medical officer Lt.Col. Dr. R.K. Pandey (Red) से प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Sign) कराकर प्रस्तुत करें।

जबलपुर जिले से बाहर चिकित्सा करवाने वाले कार्मिकों को परिणित अवकाश (Commuted Leave) के लिये CSMA नियमावली अनुसार Authorised Medical Attendant (AMA) से निर्धारित प्रारूप में फीट-अनफीट (Fit-Unfit) प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

उप वन संरक्षक (प्रशासन)

भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.स., जबलपुर

- प्रतिलिपि -
1. डॉ. आर के पाण्डेय, अधिकृत चिकित्सक, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.स., जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 2. मानक वितरण।